Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 10-03-2006
Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

an>

Title : Regarding status of Below Poverty Line Census, 2002.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सदन में सीपीएम के संसदीय दल के नेता श्री बसुदेव आचार्य जी ने बीपीएल सर्वे 2002 के संबंध में सवाल उठाया था और हमने उसके बाद सदन को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित और स्टे रहने के कारण उस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे हट गया है और हमने देश भर की राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि सभी गरीबों की एक सूची 2002 के सर्वे के मुताबिक, जो सबसे गरीब है, उसका ऊपर और क्रमवार आम मकान की दीवार पर जो गांवों में सार्वजनिक कोई स्कूल या कोई पंचायत भवन है, उस पर लिखा जाए, कम्प्यूटराइज किया जाए और उसे फिर किताब में छापकर पारदर्शी बना दिया जाए जिससे गरीबों के साथ अन्याय न हो। महोदय, यह वक्तव्य देना है।...(व्यवधान) महोदय, इससे करोड़ों गरीबों का हित होगा।

अध्यक्ष महोदय :ठीक है Mr. Minister, you can lay it on the Table of the House.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दो पन्ने हैं। हम पढ़ देते हैं क्योंकि बिना सदस्यों के सहयोग से नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :ठीक है, पढ़िए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाने के लिए देशव्यापी जनगणना कराता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का पता लगाना है। ...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 12 बजे सदन में सिक्योरिटी वाला मामला उठाने के लिए कहा था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप पांच मिनट धीरज रखिए।

...(व्यवधान)

* Placed in Library. See No. LT 3855/2006

MR. SPEAKER: Then, you do not need anybody in the Chair. किसी डॉल को मेरी जगह पर बैठा दीजिए और आप लोग स्वयं तय कीजिए कि क्या करना है।

I would request you to bear with me for five minutes. I will call you. I have never said that your matter would not be allowed. I will allow you.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, इन लोगों को गरीबों से क्या मतलब है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभी लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं लेकिन सभी का तरीका और नीतियां अलग-अलग होती हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कार्रवाई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि गरीबी उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों, रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीबी को लक्ष्य में रखकर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुंचे, जैसा कि सरकार का आशय है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: If you do not want to listen to him, then, I will go to the next item.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसी पहली जनगणना वर्ा 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए और दूसरी वर्ा 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कराई गयी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी मंत्रालय द्वारा गठित विशेाज्ञ समूह द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार बेहतर अंक पर आधारित पद्धति का प्रयोग करते हुए वर्ा 2002 में जनगणना कराई गयी थी। विगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जोत की भूमि के आकार, मकान की किस्म, वस्त्र की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, जीवन-यापन के साधनों और ऋणग्रस्तता जैसे मामलों को समाहित करते हुए 13 सामाजिक आर्थिक मानदंडों का गरीब परिवारों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया गया था। सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया था, परन्तु अंतिम सूची इसलिए नहीं बनाई गयी थी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामलें में लिखित याचिका(सिविल) सं. 196/2001 पर सुनवाई करते समय 5 मई, 2003 के अपने आदेश में भारत सरकार को यह निदेश दिया था कि वह राज्य सरकारों को मौजूदा बीपीएल सूची में से किसी भी नाम को काटने पर जोर न दें।

सभी पक्षों को सुनने और प्रस्तुत की गयी सामग्रियों की जांच करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्थगन आदेश खारिज कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीपीएल जनगणना, 2002 के

आधार पर नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंकों के साथ पंचायत मुख्यालयों में अथवा गांवों में प्रमुख स्थानों पर बीपीएल सूची का मसविदा प्रदर्शित करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के आशय से अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों को द्विस्तरीय अपील व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है ताकि लोग बीपीएल सूची में अपनी स्थिति के बारे में आपत्तियां, यदि कोई हैं, तहसीलदार, एसडीएम अथवा जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, को दर्ज करा सकें। इस बात की संभावना है कि इस कार्य के पूरा हो जाने पर सभी पात्र गरीब लोग बीपीएल सूची में शामिल कर लिए जाएंगे और अपात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकारों से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को मकानों के आबंटन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए अलग-अलग स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची बनाने का अनुरोध किया गया है जिन्हें प्रमुख स्थानों पर दीवार पर लिखा जाएगा और व्यापक प्रचार और पारदर्शिता के लिए जिले की वेबसाइट पर डाला जाएगा। राज्यों को स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने के लिए कहा गया है जो प्रतिर्वा लक्ष्य पर निर्भर करेगा। आशा है कि स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची की प्रणाली लागू होने से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया निपक्ष और पारदर्शी बनेगी।

सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सदन के ऐसे सभी सम्माननीय सदस्यों, जो जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से मंत्रालय के कार्यक्रमों से सहबद्ध हैं, से मेरी यह अपील है कि वे इन प्रयासों में मदद करें ताकि कार्यक्रमों के लाभ जरूरतमतंद ग्रामीण परिवारों को प्राप्त हों। इससे केरोड़ों गरीबों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, कामकाज में पारदर्शिता आएगी, इसलिए सदन से हमें इस विाय पर बहुत सहयोग की अपेक्षा है।...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : इस पर मैं एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप बीएसी के सदस्य हैं। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए पहले नोटिस दें।

श्री खारबेल स्वाईं : जो आम स्कूल टीचर्स हैं, उन्हें क्यों भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव बहस के समय दें। अभी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

12.11 hrs.

MOTION RE: TWENTY-THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE